संख्या 45020/02/2022-PP-पीपी/26
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
पुलिस-II प्रभाग
(कार्मिक-नीति अनुभाग)
****

कर्त्तव्य भवन-03, नई दिल्ली-01
दिनांक मार्च, 2026

कार्यालय ज्ञापन

विषय: **प्रारंभिक नियुक्ति के समय ही 7 वर्षों की अवधि के लिए NSG में कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति के लिए NSG द्वारा अनुरोध – संबंध में।**

अधोहस्ताक्षरी को निर्देश दिया जाता है कि वह उपरोक्त विषय से संबंधित दिनांक 22.11.2016 की नीतिगत दिशानिर्देशों और CTCR प्रभाग से प्राप्त कार्यालय ज्ञापन दिनांक 24.02.2026 जिसके तहत NSG में प्रारंभिक प्रतिनियुक्ति अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर 7 वर्ष करने के अनुरोध का सन्दर्भ ग्रहण करें।

2. इस मामले की CAPFs और AR के साथ परामर्श करके जांच की गई और यह ध्यान में रखते हुए कि इससे NSG में कार्मिकों को संस्थागत ज्ञान (Institutional Memory) को बनाए रखने में मदद मिलेगी, यह निर्णय लिया है कि CAPFs और AR कर्मियों को प्रारंभिक नियुक्ति के समय ही 7 वर्षों की अवधि के लिए NSG में प्रतिनियुक्त किया जाएगा।

3. उपर्युक्त के मद्देनजर, दिनांक 22.11.2016 की नीतिगत दिशानिर्देशों में संशोधन किए गए हैं। पैराग्राफ 3(B) में "प्रतिनियुक्ति की अवधि" शीर्षक के तहत कुछ प्रावधानों को प्रतिस्थापित, हटाया या नए निर्देशों के अनुसार जोड़ा गया है।

Para	Deletion	Modification/Addition
3(B)(i)	The name NSG appearing in the para stands deleted.	-
3(B)(ii)	-	Para 3(B) (ii) stands revised as under :- On account of specialized nature of job, the appointment on deputation to Narcotics Control Bureau, National Investigating Agency (NIA), National Disaster Response Force (NDRF) and National Security Guard (NSG) will be 07 years at the time of initial appointment itself. No further extension will be granted in any case after 7 years as

		per the guidelines of Department of Personnel and Training. These organizations are required to take advance steps well in advance to get a suitable replacement appointed.

4. NSG अपने सम्बंधित भर्ती नियमों में DoPT के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 18.05.2018 के अनुसार आवश्यक संशोधन सुनिश्चित करे।

5. ये दिशानिर्देश इस OM के जारी किए जाने की तारीख से प्रभावी होंगे।

6. यह माननीय गृह मंत्री जी की स्वीकृति से जारी किया जाता है।

05/3/26

(शिव लहरी मीना)
अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन नंबर- 011-24010186

सेवा में

महानिदेशक CRPF/BSF/CISF/ITBP/SSB/AR/NIA/NCB/NDRF/NSG

प्रतिलिपि:

1. पी-2 प्रभाग में आंतरिक परिसंचरण।
2. अनुभाग अधिकारी (आई.टी), गृह मंत्रालय- उपरोक्त संचार को गृह मंत्रालय की वेबसाइट (पुलिस डिवीज़न-II) (संयुक्त राष्ट्र में नियुक्तियों के लिए नीतिगत दिशानिर्देश) के तहत अपलोड करने के अनुरोध के साथ।